

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2020 — वैशाख 28, श्रक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020

क्रमांक 3705/डी. 86/21-अ/प्रारू./छ. ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 7 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री
(उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2020.

अनुक्रमणिका

धाराएं

विवरण

अध्याय – एक
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय – दो

जैव अनाशित सामग्री के प्रयोग पर प्रतिबन्ध अथवा प्रतिषेध

3. जैव अनाशित सामग्री से विनिर्मित कतिपय वस्तुओं पर प्रतिबंध या प्रतिषेध
4. जैव अनाशित एवं जैव अनाशित सामग्री को खुले में फेंकने पर प्रतिबंध
5. जैव अनाशित कूड़ा-कचरा जलाने पर प्रतिबंध

अध्याय – तीन

जैव अनाशित कूड़ा-कचरे का प्रबन्ध

6. कूड़ादान रखने की व्यवस्था करना.
7. जैव अनाशित कूड़ा-कचरा को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य.
8. स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की शक्ति एवं दायित्व.
9. प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति.

अध्याय – चार

शास्ति और दण्ड

10. शास्तियां.
11. कम्पनियों द्वारा अपराध.
12. अपराधों का संक्षिप्त विचारण.
13. अपराधों का प्रशमन.

अध्याय – पांच
प्रकीर्ण

14. प्राधिकरण गठित करने, अधिकारियों की नियुक्ति करने एवं निर्देश जारी करने की राज्य शासन की शक्ति.
15. संशोधन करने की शक्ति.
16. प्रत्यायोजन की शक्ति.
17. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
18. व्यावृत्ति.
19. नियम बनाने की शक्ति.

अनुसूची

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 7 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री
(उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2020.

यतः, संविधान का अनुच्छेद 48क, पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार हेतु प्रयास करने के लिये राज्य को आदिष्ट करता है;

और यतः भारत के संविधान का अनुच्छेद 51क, भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है।

और यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 का खण्ड (3), लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित विषयों के संबंध में विधि निर्मित करने हेतु राज्य शासन को सशक्त करता है;

और यतः, यह महसूस किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जैव अनाशित सामग्री की उपस्थिति के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने एवं निवारण में विद्यमान विधान, पर्याप्त नहीं है;

और यतः, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक नालियों, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों में जैव अनाशित सामग्री/कूड़ा-कचरा को फेंके जाने अथवा एकत्र किये जाने को नियंत्रित करना तथा रोकना, और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करना, आवश्यक प्रतीत होता है;

अतएव, उक्त प्रयोजन के लिये विधान के निर्माण के संबंध में तत्काल कार्यवाही करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
- (3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

- (क) "जैवनाशित सामग्री" से अभिप्रेत है कोई ऐसी कार्बनिक सामग्री, जिसे सूक्ष्म जैवों द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में नष्ट किया जा सकता हो;
- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों के प्रवर्तन के लिये, राज्य शासन द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किया गया हो;
- (ग) "घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" से अभिप्रेत है घरेलू स्तर में उत्पन्न कोई सामग्री, जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा या खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण का प्रसार करेगा और इसमें शामिल हैं पेंट के ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुये पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सुईयां एवं सिरिन्ज तथा संदूषित पट्टियां आदि;
- (घ) "पर्यावरण" से अभिप्रेत है वह जो कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में उपबंधित है;
- (ङ) "स्थापना" से अभिप्रेत है दुकान, वाणिज्यिक स्थापना, आवासीय होटल, माल, रेस्टोरेट, भोजनालय, निजी संगठन का कार्यालय एवं परिसर, विवाह एवं सामाजिक स्थल, थियेटर या सार्वजनिक अमोद-प्रमोद एवं मनोरंजन का अन्य स्थल तथा इसमें शामिल है इसी प्रकार की ऐसी अन्य स्थापना तथा कोई अन्य स्थापना, जो कि शासन विहित करे;
- (च) "गृह-पथ" से अभिप्रेत है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी, जो नालों के रूप में उपयोग में लाये जाने अथवा किसी शौचालय, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या अन्य दूषित पदार्थ के किसी पात्र से अभिगम के लिये निर्मित की गई हो, अलग कर दी गई हो अथवा उपयोग में लायी जाती हो;
- (छ) "स्थानीय प्राधिकारी" या "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है म्युनिसिपल कार्पोरेशन, नगर निगम, म्युनिसिपल कौंसिल, नगरपालिका, नगरपालिका परिषद्, म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पंचायत, केन्टोनमेन्ट बोर्ड, जिला परिषद्/जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, टाउन पंचायत, सेंसस टाउन, अधिसूचित क्षेत्र तथा औद्योगिक नगर, चाहे उसे किसी भी नाम से राज्य में जाना जाता हो;

- (ज) "विनिर्माता" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है जैव अनाशित सामग्री के उत्पादन अथवा जैव अनाशित सामग्री से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन, जिसमें जैव अनाशित सामग्री का उपयोग करते हुये वस्तुओं/खाद्य सामग्री का पैकेजिंग/री-पैकेजिंग या लेबलिंग/री-लेबलिंग करना भी शामिल है, में संलग्न व्यक्ति या इकाई या एजेंसी;
- (झ) "बाजार" के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान शामिल है, जहां क्रेता और विक्रेता के लिए कोई सामान्य विनियमन न होते हुए भी, चाहे स्थान के मालिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार में अधिकारिता पर नियंत्रण हो अथवा नहीं, लोग मानव उपयोग या उपभोग के लिए मांस, मछली, फल, सब्जी, खाद्य या अन्य कोई वस्तु का क्रय/विक्रय या वस्तु विनिमय करने के लिए ऐसे स्थान के स्वामी की सहमति अथवा बिना सहमति के एकत्र होते हैं;
- (ञ) "जैव अनाशित कूड़ा-कचरा" से अभिप्रेत है जैव अनाशित पदार्थ का अपशिष्ट या कूड़ा-कचरा;
- (ट) "जैव अनाशित सामग्री" से अभिप्रेत है कोई भी ऐसी सामग्री, जिसे सूक्ष्म जैवों, सूर्य का प्रकाश या अन्य प्राकृतिक अनुयोजन के द्वारा समाप्त या कम नहीं किया जा सकता हो तथा इसमें पॉलीथीन, नायलोन या अन्य प्लास्टिक पदार्थों जैसे पोलिविनाइल क्लोराईड (पीवीसी), पोलिप्रोपीलीन एवं पोलिस्टायरिन, टेरेफेथलेट, पोलियूरेथेन, पोलिकारबोनेट आदि से बनी या निर्मित वस्तुएं एवं अन्य जैव अनाशित सामग्री, जैसा कि इस अधिनियम की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, सम्मिलित है;
- (ठ) "अधिभोगी" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है :-

- (एक) कोई व्यक्ति, जिसका किसी भूमि या भवन पर वास्तविक भौतिक कब्जा हो अथवा प्रलक्षित कब्जा हो,
- (दो) कोई व्यक्ति, जो स्वामी को, तत्समय उस भूमि या भवन का किराया या किसी अंश का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है, जिसके संबंध में ऐसे किराये का भुगतान किया जाता है या देय है;
- (तीन) कोई स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोगी हो या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो;
- (चार) किसी भूमि या भवन का किराया मुक्त किरायेदार; और
- (पांच) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग या अधिभोग के लिए उसके स्वामी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायी हो;

(ड) "स्वामी" में शामिल है :

(एक) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन पर स्वामित्व रखता है,
(दो) कोई व्यक्ति, जो कि तत्समय किसी भूमि अथवा भवन का किराया प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने के लिए अर्ह है, चाहे वह स्वयं के लेखे में अथवा किसी अन्य के लेखे में अथवा अभिकर्ता, न्यासी, अभिभावक अथवा रिसिवर अथवा जो इस प्रकार किराया प्राप्त कर रहा हो अथवा उसे प्राप्त करने के लिए अर्ह हो, मानों भूमि अथवा भवन अथवा उसका कोई भाग किरायेदार को किराये में दिया गया हो;

(तीन) किसी वाणिज्यिक, शासकीय या औद्योगिक स्थानों, जिसमें रेस्तराँ, होटल, मॉल, कॉम्प्लेक्स, कारखाना, कार्यालय एवं निजी संगठन का परिसर, शादी एवं सामाजिक स्थानों आदि का स्वामी; और

(चार) भारतीय रेलवे एवं खदानें;

(ढ) "स्थान" से अभिप्रेत है कोई भूमि, भवन या औद्योगिक स्थान या भवन का भाग और इसमें सम्मिलित है भवन या भवन के भाग से अनुलग्न बगीचा, मैदान एवं बाह्य-गृह, यदि कोई हो;

(ण) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित;

(त) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है (एक) कोई स्थान, जो लोगों के मनोरंजन के उपयोग के लिए हो और इसमें सम्मिलित है सड़क, गली, बाजार, घरेलू मार्ग, या रास्ते चाहे वास्तव में उपयोग किया जाता हो या न हो; (दो) अवतरण स्थान, जिसमें जनता को पहुंच प्रदान की जाती है या आश्रय का अधिकार हो या जिस पर उनको आने-जाने का अधिकार हो; तथा (तीन) कोई निर्जन/बंजर खुला स्थान (निजी या शासकीय भूमि);

(थ) "पृथक्करण" से अभिप्रेत है ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों अर्थात् जैव नाशित अपशिष्ट, जिसके अन्तर्गत कृषि एवं दुग्ध अपशिष्ट सम्मिलित है, तथा जैव अनाशित अपशिष्ट जिसके अन्तर्गत पुनःचक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-पुनः चक्रण योग्य ज्वलनशील अपशिष्ट, सैनेटरी वेस्ट और गैर-पुनः चक्रण योग्य निष्क्रिय अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट भी सम्मिलित है, की छंटाई और पृथक भण्डारण;

(द) "दुकान" से अभिप्रेत है कोई परिसर, जहाँ वस्तुओं का, चाहे वह खुदरा हो अथवा थोक हो अथवा दोनों हो, विक्रय किया जाता है अथवा जहाँ ग्राहकों को सेवायें दी जाती हैं, और इसमें सम्मिलित है कार्यालय, भण्डार गृह (स्टोर रूम),

गोडाऊन, वेयर हॉऊस अथवा कार्य स्थल, चाहे वह ऐसे व्यापार या कारोबार जिसमें राज्य में सेवायें देने वाली कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी भी शामिल है, के संबंध में प्रयुक्त इसी प्रकार का परिसर हो या अन्यथा हो,

- (घ) "मानक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम एवं अधिसूचना के माध्यम से, शासन द्वारा विनिर्दिष्ट मानक अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) या इसके अधीन जारी नियम एवं अधिसूचना के अन्तर्गत विहित मानक;
- (न) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (प) "पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर)" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति, जो किसी पथ, गली, पार्श्व मार्ग, पैदल पथ, सड़क की पट्टी, सार्वजनिक पार्क या कोई अन्य सार्वजनिक स्थल अथवा निजी क्षेत्र में, किसी अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर, प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुयें, माल, सामान, खाद्य प्रदार्थ या सौदा बेचने अथवा जनसाधारण को सेवायें प्रदान करने में संलग्न हो और इसमें फेरी लगाने वाले, खोमचे वाला, बैठकर बेचने वाला और ऐसे अन्य सभी समानार्थक शब्द शामिल हैं, जो किसी स्थान या क्षेत्र विशेष के आपेक्षिक हैं;
- (फ) "परिवहन" से अभिप्रेत है ठोस अपशिष्ट का, जिसमें जैव अनाशित सामग्री चाहे वह उपचारित, आंशिक रूप से उपचारित या अनुपचारित हो शामिल हैं, पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवहन जिससे दुर्गंध, कूड़ा-कचरा और घृणित दशा को रोका जा सके;
- (ब) "वाहन" का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत परिभाषित है,
- (भ) "आर्द्रभूमि" से अभिप्रेत है कच्छ भूमि, पंक भूमि, पीटलैंड या जल का क्षेत्र, चाहे वह प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी हो, चाहे वह स्थिर या बहने वाले पानी के साथ हो, ताजा, खारा या नमकीन हो, समुद्री जल क्षेत्रों सहित, जिसकी गहराई कम ज्वार पर छः मीटर से अधिक न हो किन्तु इसमें नदी प्रवाह, धान के खेत, मानव निर्मित जल निकाय/टैंक, जो विशेषकर पीने योग्य जल के प्रयोजन हेतु निर्मित हो एवं संरचना, जो विशेषकर जलीय कृषि, नमक उत्पाद, मनोविनोद गतिविधियों और सिंचाई प्रयोजन के लिए निर्मित हो;
- (2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो पर्यावरण (संरक्षण)

अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तथा इसके अधीन जारी नियम एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।

अध्याय—दो
जैव अनाशित सामग्री के प्रयोग पर प्रतिबन्ध
अथवा प्रतिषेध

3. (1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर जैव अनाशित सामग्री के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, क्रय, भण्डारण, वितरण पर प्रतिबन्ध, प्रतिषेध, विनियमन या प्रबंधन कर सकेगा।
- जैव अनाशित सामग्री से विनिर्मित कतिपय वस्तुओं पर प्रतिबन्ध या प्रतिषेध.
- (2) राज्य शासन, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्माता, वितरक एवं अन्य व्यक्ति, जो जैव अनाशित सामग्री का उत्पादन या प्रबंधन करते हैं, पर इसके विनिर्माण, उपयोग एवं निस्तार, जिसमें सामग्री विनष्ट क्षमता एवं पुनःचक्रण मानक या मानदण्ड सम्मिलित है, के संबन्ध में प्रकार, आकार, भार, मोटाई, लेबल एवं पैकेजिंग घटक के संबन्ध में, शर्तें अधिरोपित कर सकेगा।
4. (1) कोई भी व्यक्ति, स्वयं या किसी अन्य के द्वारा, जानबूझकर या अन्यथा, किसी नाली, वेन्टीलेशन शाफ्ट, पाइप फिटिंग, जो सार्वजनिक जल निकासी संक्रियाओं, नहर, तालाब, नाले जल निकाय, नदी, आर्द्र भूमि से संबद्ध हो, में कोई भी जैव अनाशित सामग्री अथवा जैव नाशित सामग्री किसी जैव अनाशित बैग या कन्टेनर में रखकर नहीं फेंकेगा या नहीं फेंकवायेगा।
- जैव नाशित एवं जैव अनाशित सामग्री को खुले में फेंकने पर प्रतिषेध.
- (2) कोई भी व्यक्ति, सिवाय विहित प्रक्रिया के, जानबूझकर या अन्यथा, किसी जैव नाशित या जैव अनाशित कूड़ा कचरा या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को किसी सार्वजनिक स्थान में निस्तारित नहीं करेगा जब तक कि—
- (क) सामग्री को, पृथक रूप में अर्थात् जैव अनाशित, जैव नाशित एवं घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को बंद कूड़ेदान में रखा जाता हो; या
- (ख) सामग्री को, इसके निस्तारण के लिए उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में एकत्र किया जाता हो।

जैव अनाशित
कूड़ा-कचरा
जलाने पर प्रतिबंध.

5. कोई भी व्यक्ति, जैव अनाशित कूड़ा-कचरा नहीं जलायेगा।

अध्याय-तीन

जैव अनाशित कूड़ा-कचरे/सामग्री का प्रबन्ध

कूड़ादान रखने की
व्यवस्था करना.

6. स्थानीय प्राधिकारी या उसके द्वारा नामांकित किसी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह-
- (क) उचित और सुविधाजनक स्थान पर सार्वजनिक कूड़ेदान रखेगा या व्यवस्था करेगा या जैव अनाशित कूड़े-कचरे के अस्थाई जमाव या संग्रहण के लिए स्थान की व्यवस्था करेगा;
- (ख) जैव अनाशित कूड़े-कचरे के लिए रखे और अनुरक्षित कचरा पेटियों के अलावा जैव अनाशित, जैव अनाशित एवं घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को अस्थाई एवं पृथक रूप से जमा करने के लिए सार्वजनिक स्थान में अलग कचरा पेटियों की व्यवस्था करेगा;
- (ग) इस धारा में खण्ड (क) के अन्तर्गत सभी स्थानों पर कूड़ेदानों, ढेर और संग्रह स्थानों की अन्तर्वस्तु को हटाने की व्यवस्था करेगा;
- (घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत संग्रहित जैव अनाशित सामग्री/कूड़े-कचरे के पुनः चक्रण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ वैज्ञानिक निस्तारण का प्रबन्ध करेगा;
- (ड.) ऐसे समस्त कूड़ेदानों में सभी भागों से बन्द होने की सुविधा होगी।

जैव अनाशित
कूड़ा-कचरा को
संग्रहित और जमा
करने का स्वामियों
और अधिभोगियों
का कर्तव्य.

7. सभी भूमि और भवनों के स्वामियों और अधिभोगियों का यह कर्तव्य होगा कि :-
- (क) उनकी संबंधित भूमि और भवनों से जैव अनाशित कूड़ा-कचरा एकत्रित करना या करवाना और स्थानीय प्राधिकारों द्वारा क्षेत्र में जैव अनाशित कूड़ा-कचरा एकत्रित करने या अस्थाई तौर पर जमा कराने हेतु उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक कूड़ेदानों या स्थानों में जमा करना या करवाना;
- (ख) ऐसी भूमि या भवनों से सभी जैव अनाशित कूड़ा-कचरे के संग्रहण के लिए किसी सक्षम स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विहित प्रकार के और रीति में (सिवाय जैव अनाशित कूड़े-कचरे को जमा करने के लिए रखी गयी और अनुरक्षित) अलग-अलग

कूड़ेदानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करना और ऐसे कूड़ेदानों और कचरा पेटियों को अच्छी स्थिति में रखना और उसकी मरम्मत करना।

8. स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी, किसी ऐसी भूमि, भवन या वाहन के, जो जैव अनाशित अथवा जैव नाशित पदार्थ का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया हो और जिससे किसी बाधा का कारण बनने की सम्भावना हो या जल निकास या मल वाहन प्रणाली के अवरुद्ध होने की या जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सम्भावना हो, के स्वामी या अधिभोगी को लिखित नोटिस देने के पश्चात, ऐसे ढेर लगाए गए या एकत्र किए गए सामग्री या कूड़े-कचरे को हटा या हटवा सकेगा या ऐसे कदम उठा सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित रीति से ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर उक्त कूड़े-कचरे या सामग्री का व्ययन कर सकेगा।
- स्थानीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी की शक्ति एवं दायित्व.
9. (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सशक्त कोई व्यक्ति, किसी स्थान पर, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे सहयोगियों सहित सभी समुचित समयों पर निम्नलिखित प्रयोजन हेतु प्रवेश का अधिकार रखेगा:-
- प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.
- (क) राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए कृत्यों के पालन के लिए; या
- (ख) यह निर्धारित करना कि, यदि ऐसा है तो, ऐसे किसी भी कार्य को किस तरीके से किया जाना है या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या इस अधिनियम के अंतर्गत तामील, बनाए गये या दिए गए किसी नोटिस, आदेश या निर्देश का अनुपालन हुआ है या हो रहा है।
- (ग) किसी अभिलेख, पंजी, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री के परीक्षण करने या किसी भवन या वाहन की, जहाँ इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अधीन किसी अपराध के कारित हो चुके, हो रहे अथवा होने की सम्भावना का विश्वास करने का उसके पास कारण हो, तलाशी लेने और ऐसे समस्त अभिलेख, पंजी, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री अभिग्रहित करने के लिए यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है कि इससे इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन

कारित किसी दण्डनीय अपराध के लिए साक्ष्य उपलब्ध हो सकेगा।

- (2) जैव अनाशित पदार्थ को प्रबंधन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उप-धारा (1) के अर्न्तगत कृत्यों के निर्वहन के लिए उक्त उप-धारा में सशक्त व्यक्ति को सभी सहायता देगा और किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किये जाने का दायी होगा।
- (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने हेतु वहां तक लागू होगा, जहां तक कि उक्त संहिता की धारा 94(1) के अधीन जारी वारण्ट के प्राधिकार के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के लिये लागू होता है।
- (4) इस धारा के प्रावधानों के अधीन अभिग्रहित किये गये किसी जैव अनाशित पदार्थ अथवा जैव अनाशित कूड़ा-कचरे का निस्तारण विहित रीति से, किया जायेगा।

अध्याय – चार शास्तियां और दण्ड

शास्तियां. 10. (1) जो कोई इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9(3) या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, अधिसूचना या आदेश का उल्लंघन करता है, उस पर निम्नलिखित रीति में दण्ड अधिरोपित किया जायेगा:—

उल्लंघन	शास्ति	शास्ति के व्यतिक्रम में दण्डादेश	जमानतीय/अजमानतीय एवं संज्ञेय/असंज्ञेय
प्रथम अपराध	(क) व्यक्तियों एवं पथ विक्रेताओं की दशा में, पांच सौ रुपये (500 रुपये) का जुर्माना. (ख) दुकानों एवं स्थापनाओं	अधिकतम 3 माह का साधारण कारावास	जमानतीय एवं असंज्ञेय.

	<p>की दशा में, पच्चीस हजार रूपये (25,000 रूपये) तक का जुर्माना; तथा</p> <p>(ग) विनिर्माताओं की दशा में, एक लाख रूपये (1,00,000 रूपये) तक का जुर्माना।</p>		
द्वितीय अपराध	<p>(क) व्यक्तियों एवं पथ विक्रेताओं की दशा में, एक हजार रूपये (1000 रूपये) का जुर्माना या तीन माह तक का साधारण कारावास;</p> <p>(ख) दुकानों एवं स्थापनाओं की दशा में, पचास हजार रूपये (50,000 रूपये) तक का जुर्माना या तीन माह तक का साधारण कारावास;</p>		जमानतीय एवं असंज्ञेय.

	(ग) विनिर्माताओं की दशा में, दो लाख रुपये (2,00,000 रुपये) तक का जुर्माना या छः माह तक का साधारण कारावास।		
पश्चातवर्ती अपराध	जो कोई इस अधिनियम के अधीन न्यायालय द्वारा, पश्चातवर्ती अपराध (द्वितीय अपराध के पश्चात) के लिए दोषसिद्ध हो, वह पूर्व में दोषसिद्धि के समय उद्ग्रहित जुर्माने के दुगुने जुर्माने और 3 वर्ष तक के कठोर कारावास, जो 3 माह से कम नहीं होगा, से दण्डित किया जायेगा।		अजमानतीय एवं संज्ञेय.

(2) जो कोई, इस अधिनियम के अधीन अपराध में किसी भी रीति में अपराध कारित करने में सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है या सहायक होता है, इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन उपबंधित अनुसार दण्डित किया जायेगा।

कंपनियों द्वारा 11. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे अपराध किये जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिये भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, के साथ साथ

कंपनी भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किये जाने के लिये दायी होंगे:

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि ऐसा कृत्य उसकी जानकारी में नहीं हुआ था या उसने ऐसे कृत्य को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से ऐसा व्यक्ति, दण्ड हेतु दायी नहीं होगा।

- (2) इस अधिनियम की धारा 11(1) के प्रावधानों के अध्यक्षीन रहते हुए, जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता या घोर उपेक्षा के कारण हुआ है, और ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी दण्डित किये जाने हेतु दायी होंगे।
- (3) जहाँ कोई कंपनी अभियुक्त है, वहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 305 का प्रावधान लागू होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

- (क) "कंपनी" से अभिप्रेत है, कोई "निगमित निकाय" और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम, संगठन आदि शामिल है; और
- (ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से अभिप्रेत है उस फर्म का भागीदार।

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट विपरीत बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जायेगा, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग से निम्न का न हो तथा उक्त संहिता की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण पर लागू होंगे। यदि कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित हो, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अनुसार अपील संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

अपराधों का संक्षिप्त विचारण.

13. (1) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी या यथास्थिति, राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम या द्वितीय अपराध कारित किया हो, से नीचे दी गई तालिका में यथा विनिर्दिष्ट अपराध के प्रशमन के लिये धनराशि स्वीकार कर सकेगा:

अपराधों का प्रशमन.

अपराध/धारा	अपराध के शमन के लिए स्वीकार की जाने वाली राशि
प्रथम अपराध	(क) व्यक्तियों एवं पथ विक्रेताओं की दशा में,

(धारा 10)	पांच सौ रुपये (500 रुपये) की राशि; (ख) दुकानों एवं स्थापनाओं की दशा में, पच्चीस हजार रुपये (25,000 रुपये) की राशि; तथा (ग) विनिर्माताओं की दशा में, एक लाख रुपये (1,00,000 रुपये) की राशि।
द्वितीय अपराध (धारा 10)	(क) व्यक्तियों एवं पथ विक्रेताओं की दशा में, एक हजार रुपये (1000 रुपये) की राशि; (ख) दुकानों एवं स्थापनाओं की दशा में, पचास हजार रुपये (50,000 रुपये) की राशि; तथा (ग) निर्माताओं की दशा में, दो लाख रुपये (2,00,000 रुपये) की राशि।
प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध	अशमनीय

- (2) ऐसे प्रशमन राशि का भुगतान करने पर, ऐसे अपराध के संबंध में अभिरक्षा में रखा गया कोई व्यक्ति, तत्काल मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित या जारी नहीं रहेगी।
- (3) जहां किसी अपराध का उपरोक्त उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रशमन किया जा चुका हो, वहां अभियुक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 300 के अधीन दोषमुक्त समझा जायेगा।

अध्याय-पांच

प्रकीर्ण

प्राधिकरण गठित करने, अधिकारियों की नियुक्ति करने एवं निर्देश जारी करने की राज्य शासन की शक्ति.

14. (1) राज्य शासन, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे नाम या नामों से प्राधिकरण या प्राधिकरणों का गठन कर सकेगा, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन राज्य शासन की शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये और जैसा कि आदेश में उल्लिखित किया जाये।
- (2) राज्य शासन, इस अधिनियम के अधीन अपने शक्तियों का प्रयोग एवं अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निर्देश जारी कर सकेगा तथा ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी पर ऐसे निर्देशों का

अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

- (3) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य शासन, राजपत्र में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित कर, ऐसे पदनाम सहित अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उचित समझे तथा उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों को सौंप सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।
15. (1) जहां ऐसा करना आवश्यक समझा जाये, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी ऐसी प्रविष्टि को जोड़ अथवा हटा सकती है और उसके पश्चात्, तदनुसार अनुसूची संशोधित समझी जायेगी। संशोधन करने की शक्ति.
- (2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, इसे जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जायेगी।
16. राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति (धारा 19 में नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को ऐसे मामलों में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, इसमें यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा। प्रत्यायोजन की शक्ति.
17. राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण अथवा राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसे कार्य, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या दिये गए निदेश के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक किया गया हो या किया जाना आशयित हो, के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
18. इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, उसके अल्पीकरण में नहीं। व्यावृत्ति.
19. राज्य शासन, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रावधानों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा। नियम बनाने की शक्ति.

अनुसूची
(धारा 2 (ट) देखिये)

जैव अनाशित सामग्री/कूड़ा कचरा
(किसी आकार एवं मोटाई का विचार किए बिना)

- एक. एसिटील(Acetyl.)
 दो. ऐक्रेलिक(Acrylic)
 तीन. सेल्यूलोस एसीटेट(Cellulose Acetate)
 चार. सेल्यूलोस एसीटेट बटरेट (Cellulose Acetate Butyrate)
 पांच. इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (Electronic Waste)
 छः. हाई इम्पैक्ट पोलिसट्रिन (हिप्स) (High Impact Polystyrene (HIPS))
 सात. नायलोन(Nylon)
 आठ. पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक पट्टी(Plastic strips used for packaging)
 नौ. पॉलीकार्बोनेट(Polycarbonate)
 दस. पॉलीएथिलिन(Polyethylene)
 ग्यारह. पॉलीएथिलिन टेरेफथलेट (पीईटी)(Polyethylene terephthalate (PET).)
 बारह. पॉलीप्रोपेलिन(Polypropylene)
 तेरह. पॉलीयीस्ट्रीन (थर्माकोल)(Polystyrene (Thermocol))
 चौदह. पॉली विनाइल क्लोराइड (पीव्हीसी)(Poly-Vinyl--Chloride (PVC))
 पन्द्रह. हाई डेनसिटी पॉलीएथिलिन (एचडीपीई)(High Density Polyethylene (HDPE))
 सोलह. लो डेनसिटी पॉलीएथिलिन (एलडीपीई)(Low Density Polyethylene (LDPE))
 सत्रह. एक्रिलोनीट्राइल ब्यूटाडाइन स्ट्रिन (एबीएस)(Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS))
 अट्ठारह. पॉलीफेनीलीन ऑक्साइड (पीपीओ)(Polyphenylene Oxide (PPO))
 उन्नीस. पॉलीब्यूटीलीन टेरेफथलेट (पीबीटी)(Polybutylene Terephthalate (PBT))
 बीस. पॉलीयूरेथेन(Polyurethane)
 इक्कीस. विनाइल (Vinyl)
 बाइस. पोलिसट्रिन रेजिन्स (Polystyrene Resins)
 तेईस. काँच(Glass)

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020

क्रमांक 3705/डी. 86/21-अ/प्रारू./छ. ग./20.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 18-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2020)

THE CHHATTISGARH PLASTIC AND OTHER NON BIODEGRADABLE MATERIAL
(REGULATION OF USE AND DISPOSAL) ACT, 2020.

INDEX

Sections	CHAPTER-I Preliminary Particulars
1.	Short title, extent and commencement.
2.	Definitions.
	CHAPTER-II Restriction or Prohibition on use of non-biodegradable material
3.	Restriction or prohibition of certain things manufactured from non-biodegradable material.
4.	Prohibition on open littering of biodegradable and non-biodegradable material.
5.	Restriction on burning of non-biodegradable garbage.
	CHAPTER-III Management of non-biodegradable garbage
6.	Provision for placement of litter bins.
7.	Duty of owners and occupiers to collect and deposit non-biodegradable garbage.
8.	Power and responsibility of Local Authority or Competent Authority.
9.	Power of entry and inspection.
	CHAPTER-IV Penalties and Punishments
10.	Penalties.
11.	Offence by companies.
12.	Offences to be tried summarily.

13. Compounding of offences.

CHAPTER-V

Miscellaneous

14. Power of State Government to constitute authority, appoint officers and to issue directions.
15. Power to amend.
16. Power to delegate.
17. Protection of action taken in good faith.
18. Savings.
19. Power to make rules.
- Schedule.

**CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2020)**

THE CHHATTISGARH PLASTIC AND OTHER NON BIODEGRADABLE MATERIAL (REGULATION OF USE AND DISPOSAL) ACT, 2020.

WHEREAS Article 48A of the Constitution enjoins upon the State to endeavour to protect and improve the environment;

AND WHEREAS Article 51A of the Constitution of India, imposes duty on every citizen of India to protect and improve the natural environment;

AND WHEREAS clause (3) of Article 246 of the Constitution of India, empowers the State Government to make laws with respect to matters related to Public health and Sanitation;

AND WHEREAS it is felt that the existing legislation is not adequate in controlling and preventing pollution caused due to presence of non-biodegradable material in the State of Chhattisgarh;

AND WHEREAS it is considered necessary to control and prevent throwing or disposing of non-biodegradable material/ garbage in public drains, roads and public place in the State of Chhattisgarh and regulate matters -connected therewith or incidental thereto;

NOW THEREFORE, it is expedient to take immediate action with respect to framing of laws for the above purpose;

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy first Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Plastic and Other Non Biodegradable Material (Regulation of Use and Disposal) Act, 2020. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | (1) In this Act, unless the context otherwise requires,- | Definitions. |
| | (a) "Bio-Degradable Material" means any | |

organic material that can be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;

- (b) "**Competent Authority**" means any authority, officer or person appointed by the State Government, by notification, for enforcement of any of the provisions of this Act ;
- (c) "**Domestic Hazardous Waste**" means any material generated at the household level that would adversely affect the public at large or likely spread the infection of any disease and includes discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge etc.;
- (d) "**Environment**" means same as provided in the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986);
- (e) "**Establishment**" means a shop, commercial establishment, residential hotel, malls, restaurant, eating house, offices and premises of private organization, wedding and social venues, theatre or other place of public amusement or entertainment and includes such other establishment of like nature and any other establishment that the government may prescribe;
- (f) "**House Gully**" means a passage or strip of land constructed, set apart or utilized for the purpose of serving as or carrying a drain or affording access to the latrine, urinal, cesspool or other receptacle for filth or other polluted matter;
- (g) "**Local Authority**" or "**Local Body**" means and includes the Municipal Corporation, Nagar Nigam, a Municipal Council, Nagar Palika, Nagar palika parishad, Municipal Board, Nagar Panchayat, Cantonment Board, Zila

Parishad/ Zila Panchayat, Gram Panchayat, Census Towns, notified area and industrial townships with whatever name they are called in the State;

- (h) "**Manufacturer**" means and includes a person or unit or agency engaged in the production of non-biodegradable material or items made of non-biodegradable material including packaging/re-packaging or labeling/re-labeling of goods/food items using non-biodegradable material;
- (i) "**Market**" includes any place where persons assemble for sale/purchase or barter of meat, fish, fruits, vegetables, food or any other articles for human use or consumption with or without the consent of the owner of such place, notwithstanding that there may be no common regulation for the concourse of the buyers and the sellers and whether or not any control is exercised over the business of, or the person frequenting the market by the owner of the place or by any other persons;
- (j) "**Non-Biodegradable Garbage**" means the waste or garbage of non-biodegradable material;
- (k) "**Non-Biodegradable Material**" means any material which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions into simpler compounds which includes goods made or manufactured from Polyethylene, Nylon or other plastic substances such as Poly-vinyl-chloride (P.V.C.), Poly-Propylene and Polystyrene, terephthalate, polyurethane, polycarbonate etc. and other non-biodegradable materials as specified in the Schedule appended to this Act;
- (l) "**occupier**" means and includes,-
- (i) any person who is in any actual physical possession or constructive

- possession of any land or building;
- (ii) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land building in respect of which such rent is paid or is payable;
- (iii) an owner in occupation of or otherwise using his land or building;
- (iv) a rent free tenant of any land or building; and
- (v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land or building;
- (m) "**Owner**" includes:-
- (i) any person who owns any land or building;
- (ii) a person who for the time being is receiving or is entitled to receive, the rent of any land or building, whether on his own account or of other person or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other person or who should so receive the rent or be entitled to receive it, if the land or building or part thereof were let to a tenant;
- (iii) a person who owns any commercial, official or industrial space including restaurants, hotels, malls, complexes, factories, offices and premises of private organizations, wedding and social venues, etc; and
- (iv) Indian railways and mines;
- (n) "**Place**" means any land, building or industrial space or part of a building and includes the garden, ground and out-houses, if any, pertaining to a building or part of a building;
- (o) "**Prescribed**" means prescribed by rules made-under this Act;
- (p) "**Public Place**" means: (i) any place which is open to use for enjoyment of the public and

- includes a road, street, market, house-gully or way, whether a thoroughfare or not; (ii) landing place to which public are granted access or have a right to resort or over which they have a right to pass; and (iii) any barren open space (private or government land);
- (q) "**Segregation**" means sorting and separate storage of various components of solid waste namely biodegradable wastes including agricultural and diary waste, non-biodegradable wastes including recyclable waste, non-recyclable combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes and construction and demolition waste;
- (r) "**Shop**" means any premises where goods are sold, either by retail or wholesale or both or where services are rendered to customers, and includes an office, a store room, godown, warehouse or work place whether in the same premises or otherwise used in connection with such trade or business including any e-commerce company rendering services in the State;
- (s) "**Standards**" mean standards specified by the Government, through rules and notification, under this Act or the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) or rules and notifications issued thereunder;
- (t) "**State Government**" means the Government of Chhattisgarh;
- (u) "**Street Vendor**" means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, sidewalk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built-up structure or by moving from place to place and includes

hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific;

- (v) **"Transportation"** means conveyance of solid waste including Non-Biodegradable material, either treated, partly treated or untreated from one place to another, in an environmentally sound manner through specially designed and covered transport system so as to prevent foul odour, littering and unsightly conditions;
- (w) **"Vehicle"** shall have the same meaning as defined under the Motor Vehicles Act, 1988;
- (x) **"Wetlands"** means an area of marsh, fen, peat land or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, but does not include river channels, paddy fields, human-made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purposes and structures specifically constructed for aquaculture, recreation and irrigation purposes.

- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) and Rules and notifications issued thereunder.

CHAPTER-II

Restriction or prohibition on use of non- biodegradable material

Restriction or prohibition on certain things manufactured from non-biodegradable material.

3. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, restrict, prohibit, regulate or manage the use, manufacture, sale, purchase, storage, distribution of non-biodegradable material within the State.

- (2) The State Government may, by general or special order, impose conditions on manufacturers, distributors and other persons who produce or handle Non-Biodegradable Material, with respect to the type, size, weight, thickness, labelling and composition of packaging with respect to its manufacture, use and disposal including standards or norms for material degradability and re-cyclability.
4. (1) No person, by himself or through another, shall knowingly or otherwise, throw or cause to be thrown, in any drain, ventilation shaft, pipe and fittings, connected with the public drainage work, canals, ponds, streams, river or Wetland, any Non-Biodegradable Material or Any Biodegradable Material by placing in a Non-Biodegradable bag or container
- Prohibition on open littering of biodegradable and non-biodegradable material.**
- (2) No person shall, knowingly or otherwise dispose-off, save as prescribed, any Bio-degradable or Non-Biodegradable Garbage or Domestic Hazardous Waste in any Public Place, unless-
- (a) the material is placed in a litter bins in segregated form namely non-biodegradable, biodegradable and domestic hazardous waste ; or
- (b) the material is deposited in a location designated by a Local Authority having jurisdiction on an area for the disposal of such material.
5. No person shall burn any Non-Biodegradable Garbage.
- Restriction on burning of non-biodegradable garbage.**

CHAPTER-III

Management of non-biodegradable garbage/material

6. It shall be the duty of the Local Authority, or any officer nominated by it, to,-
- Provision for placement of litter bins.**
- (a) place or provide in proper and convenient situation public receptacles, or places for temporary deposit or collection of non-biodegradable garbage;
- (b) provide separate litter bins in public places for temporary and segregated deposit of non-biodegradable, biodegradable and domestic hazardous waste other than those kept and maintained for deposit of bio-degradable garbage;
- (c) provide for the removal of contents of litter bins, deposit and

- accumulation at all places provided under clause (a) of this section;
- (d) arrange for recycling and environmentally safe scientific disposal of the Non-Biodegradable Material/Garbage collected under this Act;
- (e) all such receptacles shall have the facility to be closed from all sides.
- Duty of owners and occupiers to collect and deposit non-biodegradable garbage.**
7. It shall be the duty of the Owners and Occupiers of all lands and buildings:-
- (a) to collect or to cause to be collected from their respective land and buildings the Non-Biodegradable Garbage and to deposit, or cause to be deposited, in public receptacles or places provided for temporary deposit or collection of the Non-Biodegradable Garbage by the Local Authority in the area ;
- (b) to provide separate receptacles or litter bins (other than those kept and maintained for deposit of bio-degradable garbage) of the type and in the manner prescribed by any Competent Authority for collection therein of all the non-biodegradable waste from such land and building and to keep such receptacles or litter bins in good condition and repair.
- Power and responsibility of Local Authority or Competent Authority.**
8. The Local Authority or the Competent Authority may, after giving notice in writing to the Owner or Occupier of any land, building or Vehicle, which has become a place of unauthorized stacking or deposit of non-biodegradable or biodegradable material, which is likely to cause a nuisance or is likely to injure the drainage and sewage system or is likely to be hazardous to life and health, remove or cause to be removed the garbage or material so stacked or collected, or take such steps as it may think necessary, and dispose of the said garbage or material at the cost of such person in the manner as provided under the rules made under this Act.
- Power of entry and inspection.**
9. (1) Subject to the provisions of this section, any person empowered by the State Government, by notification in the Official Gazette, shall have a right to enter, at all reasonable times with such assistance as he considers necessary, any place for the purpose of, -
- (i) performing any of the functions entrusted to him by the State Government; or
- (ii) determining whether, and if so, in what manner, any such functions are to be performed, or whether any provisions of

- this Act or the rules made thereunder, or any notice, order or direction served, made or, given under this Act, is being, or has been, complied with; or
- (iii) examining any record, register, document or any other material object, or for conducting a search of any building or vehicle in which he has reason to believe that an offence under this Act or the rules made thereunder has been, or is being, or is about to be committed, and for seizing such record, register, document or other material object if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rules made thereunder.
- (2) Every person handling any non-biodegradable material, shall be bound to render all assistance to the person empowered under sub-section (1) for carrying out the functions under that sub-section, and if he fails to do so without any reasonable cause or excuse, he shall be liable to be punished as per the provisions of this Act.
- (3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under Section 94 (1) of the said code.
- (4) Any non-biodegradable material or non-biodegradable garbage seized under the provisions of this section, shall be disposed of as may be prescribed.

CHAPTER-IV Penalties and Punishments

10. (1) Whosoever contravenes Section 3,4,5,6,7, 8 and 9(3) of this Act or any rules, notification or order made under this Act shall be punished in the following manner:

Penalties.

Contravention	Penalty	Sentence in default of penalty	Bailable/ Non-bailable and cognizable/ Non-cognizable
First Offence	(a) in case of individuals and Street Vendors a fine of Five hundred rupees (INR 500); (b) in case of Shops	maximum 3 months simple imprisonment	Bailable and Non-cognizable.

	<p>and Establishments a fine of upto twenty-five thousand rupees (INR 25,000) ; and</p> <p>(c) in case of Manufacturers a fine of upto one lakh rupees (INR 1,00,000).</p>		
Second Offence	<p>(a) in case of individuals and Street Vendors a fine of one thousand (INR 1000) or simple imprisonment upto three months;</p> <p>(b) in case of Shops and Establishments a fine of upto Fifty thousand (INR 50,000) or simple imprisonment upto three months; and</p> <p>(c) in case of Manufacturers a fine of upto Two lakhs (INR 2,00,000) or simple imprisonment upto six months.</p>		Bailable and Non-cognizable.
Further Subsequent Offence	<p>Whoever having been-convicted by a Court for subsequent offence (after second offence) punishable under this Act shall be punished with double the fine levied at the time of earlier (previous) conviction and rigorous imprisonment upto 3 years which shall not be less than 3 months.</p>		Non-bailable and Cognizable.

- (2) Whoever, in any manner aids, abets or becomes accessory to the commission of an offence under this Act shall, be punished as provided under sub-section (1) of this Section.

11. (1) If the person contravening any of the provision of this Act is a company, every person, who at the time of the commission of such offence, was in-charge of and responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be liable to be punished as per the provisions of this Act:

Offences by companies.

Provided that nothing contained in this Act shall render any such person liable for punishment, if he proves that such act was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such act.

- (2) Subject to provisions of Section 11(1) of this Act, where a company contravenes any provision of this Act it shall be presumed that such contravention has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any gross negligence on the part of, the director(s), manager(s), secretaries or other officer(s) of the company and such director(s), manager(s), secretaries or other officer(s) shall also be liable to be punished.
- (3) Where a company is an accused, provisions of Section 305 of Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be applicable.

Explanation - For the purposes of this Section –

- (a) "company" means any 'body corporate' and includes a firm or other association of individuals, organizations etc.; and
(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

12. Notwithstanding anything contained to the contrary in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No.2 of 1974), all offences under the Act shall be tried in a summary way by a court not below the rank of Judicial Magistrate First Class and the provision of Section 262 to Section 265 (both inclusive) of the said Code shall as far as maybe, apply to such trials. If any person is aggrieved by any order of the Court under this Section, then the provisions relating to appeal as per Criminal Procedure Code, 1973 (No.2 of 1974) shall apply.

Offences to be tried summarily.

13. (1) Any officer of the State Government or of the Local Authority, authorized by the State Government or, as the case maybe, by the local authority, in this behalf, may accept from any person who has committed the first and second offence under this Act, a sum of money by way of compounding of the offence as specified in the Table below:-

Compounding of Offences.

Contravention/Sections	Sum of money to be accepted for compounding of an offence
(1)	(2)
First Offence (Section 10)	(a) a sum of Five hundred (INR 500) in case of individuals and Street Vendors; (b) a sum of twenty-five thousand (INR 25,000) in case of Shops and Establishment; and (c) a sum of one lakh (INR 1,00,000) in case of Manufacturers.
Second Offence (Section 10)	(a) a sum of one thousand (INR 1000) in case of individuals and Street Vendors; (b) a sum of Fifty thousand (INR 50,000) in case of Shops and Establishment; and (c) a sum of Two lakhs (INR 2,00,000) in case of Manufacturers.
Every Subsequent Offences	Non-compoundable

- (2) On payment of such compounding amount, any person if in custody in connection with such offence shall be set at liberty forthwith and no proceeding shall be instituted or continued against such person in any criminal court.
- (3) Where any offence has been compounded under sub-section (1) above, the offender shall be deemed to be acquitted under Section 300 of Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974).

CHAPTER-V Miscellaneous

**Power of State
Government
constitute auth
appoint officers
issue directic**

14. (1) The State Government may, by an order published in the Official Gazette, constitute an authority or authorities, by such name or names as may be specified in the order for the purpose of exercising and performing such of the powers and functions of the State Government under this Act, as may be mentioned in the order.
- (2) The State Government may, in exercise of its powers and for performance of its functions under this Act, issue directions, in writing, to any officer or authority and such officer or authority shall be bound to comply with such directions.
- (3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may appoint, by general or special order published in the Official Gazette, officers with such designation as it thinks fit for the purposes of this Act and may entrust to them such of the powers and functions under this Act as it may deem fit.

15. (1) Where it is expedient to do so, the State Government may, by notification in the Official Gazette, add to or omit from the Schedule any such entry and thereafter the Schedule shall be deemed to be amended accordingly. **Power to amend.**
- (2) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is issued, before the State Legislative Assembly.
16. The State Government may, by order published in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act (except the power to make rules under Section 19) may also be exercised, in such cases as may be specified in the order, by such officer or authority, as may be specified therein. **Power to delegate.**
17. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any Local Authority or any officer or other employee of the State Government or the local authority or any other person authorized by the state government for anything which is done in good faith, or intended to be done in good faith under this Act or the rule or directions issued thereunder. **Protection of action taken in good faith.**
18. The provisions of this Act are in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. **Savings.**
19. The State Government may make rules for the purposes of carrying out of all or any of the provision of this Act. **Power to make rules.**

SCHEDULE
(See Section 2 (k))

Non-Biodegradable Material / Garbage
(Irrespective of any size and thickness)

- I. Acetyl.
- II. Acrylic.
- III. Cellulose Acetate.
- IV. Cellulose Acetate Butyrate,
- V. Electronic Waste.
- VI. High Impact Polystyrene (HIPS).
- VII. Nylon.
- VIII. Plastic strips used for packaging.
- IX. Polycarbonate.
- X. Polyethylene.
- XI. Polyethylene terephthalate (PET).
- XII. Polypropylene.
- XIII. Polystyrene (Thermocol).
- XIV. Poly-Vinyl--Chloride (PVC).
- XV. High Density Polyethylene (HDPE)
- XVI. Low Density Polyethylene (LDPE)
- XVII. Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
- XVIII. Polyphenylene Oxide (PPO)
- XIX. Polybutylene Terephthalate (PBT)
- XX. Polyurethane
- XXI. Vinyl
- XXII. Polystyrene Resins
- XXIII. Glass